CENTRAL COALFIELDS LTD.
Fuelling Sustainable Growth

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)
CIN : U10200JH1956GOI000581

Office of The Project Officer, Ashok Project
ईमेलpoashokocp@gmail.com
वेबसाइटwww.centralcoalfields.in

Ref. No.PO/AK/PPR/2024-2025/604 Date 22.11.2024

To,
The Divisional Forest Officer
Chatra (South) Forest Division
Chatra.

विषय : टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत सी.सी.एल. द्वारा पिपरवार परियोजना हेतु 43.30 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का नवीकरण के संबंध में।

Ref: 477 दिनांक 26.09.2024

Dear Sir,

Please find query compliance in respect of renewal application for earlier diverted forest land (43.30 Ha.) for Piparwar Project :

S.N	Query	Reply
1	प्रस्ताव में संलग्न कैड्रस्टल मैप पर दिखाये गये Project Lease Boundary के अनुसार वनभूमि / गैरमंजरूआ जंगल-झाड़ी/गैर बनभूमि इत्यादि संलग्न भूमिगत माईनिंग करने हेतु दर्शाया हुआ है परन्तु Geo- reference map in shape file में मात्र चार पैच वनभूमि का ही दर्शाया हुआ है। दोनों विरोधाभाषी है, इसे स्पष्ट करें। साथ ही Lease Boundary मौजा विजैन के तरफ से होकर गुजरती हुई भी दिखाई गई है जबकि इस परियोजना में मात्र 03 ही गाँव प्रभावित हो रहे है। इस प्रकार दिखाये गये Lease Boundary किस आधार पर विजैन गाँव के तरफ से गुजरते हुए दिखाया गया है, इसे भी स्ष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न कैड्रस्टल मैप पर दिखाये गये Project Lease Boundary 464.69 Ha है जो की Piparwar underground Phase I का lease boundary है एवं 43.30 Ha प्रस्तावित वन भूमि को दर्शाया गया है जिसका नवीकरण प्रस्ताव है।
2	ऑनलाईन पार्ट-2 की कंडिका 14 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भरी गई कॉलमों में गैर वनभूमि के संबंध में ० अंकित है जबकि इसी परियोजना के विरूद्ध 53.79 हे० गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, तो उस स्थान पर शून्य किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट किया जाय। साथ ही कुल क्षतिपूरक वनरोषण कार्य हेतु रकबा-1930.70 हे० प्राप्त हुआ है जिसमें 1761.65 हे0 में कार्य हुआ है तो शेष 169.65 हे० रकबा में क्षतिपुरक वनरोपण कार्य अबतक क्यों नहीं हुआ है, इसे भी स्पष्ट किया जाय। This is a renewal application for earlier diverted forest land (43.30 Ha.) in Piparwar Project.	The 53.79 Ha non forest land was identified for Compensatory afforestation in respect of the fresh proposal of Piaprwar OCP (43.30 Ha). Para 5.6 (i) of the consolidated guidelines issued under Van Sanrakshan Evam Samvadhan Adhiniyam states that: “Previously, if CA, NPV, etc., were exempted but proposed change in land use or re-diversion is not falling under the category of non-forestry activity which is/are not exempted from such levies or if NPV & CA have not been realized during the earlier approval period, then the User Agency shall make a payment towards all such levies / CA area over non-forest area proportionate to the extent of forest area proposed for re diversion;” From the above it is evident that CA in renewal/rediversion proposal is applicable only

<table>
<tr><td></td><td></td><td>if CA was exempted in earlier proposal. Therefore, filling of CA details for the subject renewal proposal is not required.

Information regarding the earlier identified CA land is has already submitted in additional information of Part I and is being again enclosed alongwith the proposal.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पार्ट-1 की कंडिका A-2 (xiii) में Proposal submitted in past में नई प्रस्ताव के संबंध में सूचना अंकित किया हुआ है जबकि इसमें वैसे प्रस्ताव की सूचना अंकित करना है जिसमें भारत सरकार से Stage-1 या Stage-II प्राप्त है जैसे कि- 13.11 हे0, 28.22 हे0, 101.87 हे0, 166.91 हे॰ तथा 92.26 हे॰ प्रस्तावों के संबंध में सूचना अंकित करना अनिवार्य है।</td><td>पार्ट-1 की कंडिका A-2 (xiii) में Proposal Submitted in past में सुधार कर दिया गया है ।
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Details of diverted Forest land</th><th>Stage –II granted by MoEF vide FC no.</th></tr>
<tr><td colspan="3">Forest land diverted for Piparwar Project</td></tr>
<tr><td>1</td><td>13.11 Ha.</td><td>8-172/89-FC dt. 02.12.1992.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>43.30 Ha.</td><td>8-172/89-FC dt. 03.01.1995.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>28.22 Ha.</td><td>8-48/98-FC dt. 21 September ’2001</td></tr>
<tr><td>4</td><td>101.87 Ha.</td><td>8-54/2003-FC dt. January ’2004.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Forest land diverted for Ashok Project</td></tr>
<tr><td>1</td><td>166.91 Ha.</td><td>8-178/97-FC dt. 9th November ’1999</td></tr>
<tr><td>2</td><td>92.26 Ha.</td><td>8-07/2013-FC dt.7th February’2014.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>पार्ट-1 की कंडिका A-4 Details of approvals under the forest (conservation) Act में भरी गई कॉलमों में अंकित किये गये डाटा सही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010 में इस परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति कब मिला है, इसे स्पष्ट करें।</td><td>पार्ट-1 की कंडिका A-4 में सुधार कर दिया गया है ।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पार्ट-1 की कंडिका A-5 status on compliance to conditions stiputated in the previous approvals में conditions no-2 का पूर्ण compliance अभी तक नहीं हुआ है। इस परियोजना के विरूद्ध आपके स्तर से 53.79 हे॰ गैर वनभूमि उपलब्ध कराने की सूचना अभिलेख में है परन्तु उक्त भूमि का अबतक अधिसूचना नहीं कराया गया है, क्योंकि स्थल पर रिक्त एवं अतिक्रमण से मुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थल पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा मकान, जोत कोड़ कर भरण-पोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर अलग से 53.79 हे॰ गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका अधिसूचना कराकर भारत सरकार के प्रतिवेदित किया जा सके तभी इस शर्त का अनुपालन होगा जिसकी सूचना भारत सरकार को भेजी जायेगी।</td><td>132.81 Acre (53.79 Ha.) of non-Forest land for Compensatory Afforestation was provided and details of which is as under.
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Name of village</th><th>Area in Acres</th><th>Area in Hectares</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kalyanpur</td><td>78.47</td><td>31.77</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Mandar</td><td>54.41</td><td>22.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>132.84 Acre</td><td>53.79 Ha.</td></tr>
</table>
was duly accepted by the Forest Department, Plot wise detail of non-Forest land for Compensatory Afforestation is attached as Annexure
43.30 हे0 अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि का डिटेल्स संलग्न किया जा रहा है।</td></tr>
</table>

6	पार्ट-1 की कंडिका B-2.4 में component wise break-up में infrastructure (Road etc) में 1.30 हे० वनभूमि, नाला, 0.31 हे0 Green Belt में 1.96 हे० वनभूमि तथा भूमिगत कोयला हेतु 39.64 हे० वनभूमि दर्शाया हुआ है। जब भूमिगत कोयला निकालना है तो उसमें सड़क / infrastructures आदि में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है, स्ष्ट करें।	यह प्रस्ताव Renewal प्रपोजल है जिसमे 43.30 हे0 अपयोजित होनेवाले वन के लिए Change in Land-use Piparwar UG Phase I के लिए आवेदन सम्पादन किया जाना है।
7	पार्ट-1 की कंडिका C में no. of patches five दर्शाया हुआ है जबकि four patches में ही 43.30 हे० रकबा पूर्ण होता है तो पाँचवों KML File Upload करने एवं दर्शाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।	पार्ट-1 की कंडिका C में no. of patches five दर्शाया हुआ है जिसमे पाँचवों KML outer boundary के लिए है।
8	पार्ट-1 की कंडिका M-2 के (v) में Nature of Mining में Opencast अंकित है जबकि उक्त परियोजना underground mining के लिए प्रस्तावित किया हुआ है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	यह प्रस्ताव Renewal प्रपोजल है जिसे Piparwar UG Phase I underground के लिए Change in Land-use समरपीट किया जाना है।
9	पार्ट-1 की कंडिका H में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अंकित पत्र सं० एवं तिथि वर्ष 2014 का दर्शाया गया है परन्तु प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र वर्ष 2020 का लगा हुआ है, दोनों विरोधाभाषी है।	पार्ट-1 की कंडिका H में सुधार कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव के साथ underground mining के संबंध में surface strain predicted by 3-D subsidence predication modal का सक्षम स्तर से स्वीकृत Report संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ underground mining के संबंध में surface strain predicted by 3-D subsidence predication modal का सक्षम स्तर से स्वीकृत Report संलग्न कर दिया गया है ।
11	प्रस्ताव में संलग्न Land use plan में underground mining हेतु कितने Tunnel (सुरंग) होंगे दर्शाया हुआ नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न Land use plan में underground mining हेतु 3 Tunnel (सुरंग) होंगे जिसे दर्शा दिया गया है ।
12	Authenticated Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	Authenticated Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न कर दिया गया है ।
13	प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न कर दिया गया है ।
14	प्रस्ताव में संलग्न Deforestations Plan के क्रम सं० 2 में Area (Forest Release)- 14.30 हे० दर्शाया गया है यह कौन-सी परियोजना है, जबकि इसे 43.30 हे० होना चाहिए।	प्रस्ताव में संलग्न Deforestations Plan के क्रम सं० 2 में सुधार कर दिया गया है।
15	ऑनलाईन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।	ऑनलाईन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है ।
16	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका D में uploaded justification में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका D में uploaded justification में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।

17	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में uploaded Toppo Map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में uploaded Toppo Map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
18	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में uploaded Geo-reference map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में uploaded Geo-reference map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
19	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका H (c) में uploaded Environment Clearance Report में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका H (c) में uploaded Environment Clearance Report में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
20	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 1.1 में uploaded Document में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 1.1 में uploaded Document में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
21	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iii) में Approval of Mining Plan की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है जो uploaded नहीं है।	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iii) में Approval of Mining Plan की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दिया गया है ।
22	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (iv) में uploaded Approved Mining Plan में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
23	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका M 2 (vi) में uploaded DGPs or Total Station में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।	पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित कर दिया गया है ।
24	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार विषयक परियोजना के लिए एन०पी०भी०/ क्षतिपूरक वनरोषण मद हेतु राशि जमा करने संबंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं मैनुअल पार्ट-1 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति पार्ट-1 की Additional information details में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।	विषयक परियोजना के लिए एन०पी०भी०/ क्षतिपूरक वनरोषण मद हेतु राशि जमा करने संबंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र upload किया जाता है ।

Thanking you

Jitendra Kumar Singh
Project Officer
Piparwar U/G

Yours Faithfully
(Project Officer)
Piparwar UG Phase I

Copy to: -

1. General Manager, Piparwar Area, CCL
2. Office Copy

अनुलग्नक – III ANNEX – III

SCHEDULE OF LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION
AT VILLAGE KALYANPUR.

Name of Village	Khata No.	Plot No.	Area (in acres)
Kalyanpur		13	1.55
		16A	3.75
		16B	25.00
		53A	7.90
		53B	0.75
		55A	16.50
		55B	3.25
		61	0.72
		73	3.50
		79	5.55
			78.47 acres
		or	31.77 hectares.
Handar			1.45
		512/A	11.00
		512/B	9.80
		149	12.86
		151	6.35
		152	13.75
		355	
			54.41
		or	22.02 hectares.

ABSTRACT		Area in acres	Area in Hectares
	Kalyanpur	78.47	31.77
2.	Handar	54.41	22.02
		132.84	53.79

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

General Manager (EM)
C. C. L. Ranchi

AnyScanner

THE BIHAR GAZETTE

FOREST AND ENVIRONMENT, BIHAR

NOTIFICATIONS

THE...

NO,.................................... in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927). The Government of Bihar is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable from the date of this notification, to the Forest lands and waste-lands specified in the Schedule here to annexed and situated in the district of Santhal Pragana.

The Forest lands and waste lands comprised in this notification shall be called a protected Forest.

The nature and extent of the rights of Govt. and provate persons in or over the forest lands and wasts lands comprised in this notification vave not yet been enquired in this notification have not yet been enquired into and recorded as laid down in sub-section (2) of section 29 of the said Act, but as the State Government thinks that such ehquiry and record will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Govt. and as the enquiry and record of rights will hereafter be made, this notification is issued subject to all existing right of individuals or communities.

SCHEDULE.

Sl. No.	Name of Owners	Name of Village	Thane	Thana No.	District	Area in Acre	Plot No.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	State of Bihar.	Kalyanpur	Tandwa	85	Chatra	78.47	13	11.55
							16A	3.75
							16B	25.00
							53A	7.90
							53B.	0.75
							55A	16.50
							55B	3.25
							61	0.72
							76	3.50
							79 .	5.55
2.	-do-	Nandar	-do-	71	Chatra	54.41		78.47 A or 31.77 H.
							512A	1.47
							512B	11.00
							149	9.00
							151	12.86
							152	6.35
							355	13.75
								54.41 or 22.02 Hc.

By order of the
Governor of Bihar

बिहार गजट

वन एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

संख्या- भारतीय वन अधिनियम (एक्ट सन 1927) की धारा 29 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिन से निम्नांकित भुमि और बंजर भुमि पर उपरोक्त अधिनियम के चौथे अध्याय को लागू करने की घोषणा करते हैं जो राँची जिला अन्तर्गत है।

वन भुमि एवं बंजर भुमि जिसका विवरण इस अधिसूचना में संकलित है उसे रक्षित (प्रोटेक्टेड) वन कहा जायेगा।

चूंकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 29(3) के अनुसार निजी व्यक्तियों के अधिकारों का जब तक भुमि एवं बंजर भुमि की तत्संबंधी जाँच नहीं हो जाती है तब तक सरकार और निजी व्यक्ति के अधिकारों का उस वन भुमि और बंजर भुमि को तत्संबंधि जाँच अभी तक नहीं हुई है, जिसे समाप्त करने में काफी समय लगेगा तथा इस अवधि में सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण होने की सम्भावना प्रतीत होती है। अतः व्यक्ति विशेष एवं समुदाय के सभी वर्तमान अधिकारों को बिना अतिक्रमण किये यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

विवरण

तौजी	नाम ग्राम	थाना	थाना नं0	जिला	प्लौट नं0	रकबा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिहार सरकार	कल्याणपुर	टण्डवा	85	चतरा	13	11.55
					16 ए	3.75
					16 बी	25.00
					53 ए	7.90
					53 बी.	0.75
					55 ए	16.50
					55 बी.	3.25
					61	0.72
					76	3.50
					79	5.55
						78.47 ए0
						31.77 हे0
-वही-	माण्डर	टण्डवा	71	चतरा	512 ए	1.47
					512 बी	11.00
					149	9.00
					151	12.86
					152	6.35
					355	13.75
						54.41 ए0
						22.02 हेक्टेयर

राज्यपाल के आदेश से,

AnyScanner

(5.1) ANX-II/2

[illegible] मुख्य वन संरक्षक, बिहार, रांची ।

[illegible] /शक सम्वत, 1914

रांची, दिनांक [illegible] दिसम्बर, 1992.

[illegible],

[illegible] मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, रांची ।

सेवा में,

[illegible] के सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
पटना-15.

विषय:- पिपरवार परियोजना के लिए सी०सी०एल० द्वारा 43.30 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वनरोपण के लिए गैर वनभूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर सरकार के ज्ञापांक- वन भू[illegible] [illegible] दिनांक- 27/29.8.92 के क्रम में कहना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक- 1708 दिनांक- 16.11.92 में सूचित किया है कि दिनांक- 12.10.92 को रांची में सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ था जिसके तहत पिपरवार परियोजना के पूर्व प्रस्ताव में से 43.30 हे० वनभूमि का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाय ।

तदनुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने पिपरवार परियोजना के लिए सी०सी०एल० द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ग्राम-[illegible]पुर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा एवं ग्राम-माण्डर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा में क्रमश: 31.77 हे० एवं 22.02 हे० कुल 53.79 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध कराये हैं । उक्त भूमि का सर्वेक्षण सी०सी०एल० एवं वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा एक साथ की गयी है और यह पाया गया है कि उक्त भूमि अतिक्रमण रहित एवं वनरोपण के योग्य है ।

इस संबंध में निम्नलिखित कागजात की तीन-तीन प्रतियाँ [illegible] के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है :-

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक- 1708 दिनांक- 16.11.92
2. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत सुरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना हिन्दी एवं अंग्रेजी में ~~दो-दो~~ तीन-तीन प्रतियाँ ।

क्र०पृ०उ०

AnyScanner

-2-

3. कल्याणपुर एवं माण्डर ग्राम में क्षतिपूरक वनरोपण कार्य कराने का सी०सी०एल० की हामी ।

4. ग्राम-कल्याणपुर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा [पुराना हजारीबाग] में उपलब्ध कराये जाने वाले गैर वनभूमि का मानचित्र ।

5. ग्राम-माण्डर, थाना-माण्डर, जिला-चतरा [पुराना हजारीबाग] में उपलब्ध कराये जाने वाले गैर वनभूमि का मानचित्र ।

6. सी०सी०एल० द्वारा 10 वर्षों के लिये खनन कार्य हेतु हस्तान्तरित किए जाने वाले वनभूमि का ब्योरा ।

7. सी०सी०एल० के महाप्रबन्धक [भूमि एवं पर्यावरण] के पत्रांक- 861-70 दिनांक- 18.7.92 की छाया प्रति ।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के ज्ञापांक- 3194 दिनांक- 10.12.92 की छाया प्रति ।

अतः सरकार से आग्रह है कि कृपया सी०सी०एल० के पिपरवार प्रोजेक्ट हेतु 53.79 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध करा रही है उसपर सरकारी स्तर से शीघ्र कार्रवाई की जाय ।

अनु०यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

19/12/92

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार,
रांची ।

19/12

19.12

ANX-IV/

(109)

CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
DARBHANGA HOUSE, RANCHI 834 001
Gram COLCENT Phone PBX 301606
Telex 0626-201

Ref. No. GM(Env.-Land)/93/1997-2004

Date 27th November 93.

To

The Divisional Forest Officer
Hazaribagh West
Hazaribagh

Sub: Diversion of 43.30 Ha of forest land for coal mining in Piparwar OCP of CCL in Hazaribagh District.

Dear Sir,

Kindly refer to letter No.8-172/89-F.C. dated 3.11.1993 issued by Shri Munindra, Under Secretary to Government of India. A photo copy of which is enclosed for your ready reference. The comments of CCL are as under:-

1. The land for compensatory afforestation was provided from Government land in village Kalyanpur and village Mander. 53.79 Ha of non-forest Government land was accepted and approved and forest proposal was forwarded to MOEF, New Delhi. The P.C.C.F. has already written to Secretary (Forest) for issue of Gazette Notification for declaring it as protected forest. Hence condition No.1 has already been implemented by C.C.L. and Forest Department.

2. You are requested to kindly place the demand of forest growth etc. for 43.30 Ha of forest land to be released. In this connection, this is to inform you that the cost of raising afforestation in 1.5 times of forest area in safety zone has already been deposited to State Forest Department when approval for release of 13.11 Ha of forest land was received for Piparwar OCP. A photo copy of the correspondence made by CCF(Development/Nodal Officer) is enclosed for your kind information. Hence compliance of item No.2 will be done only on receipt of demand from your office.

3. The cost of enrichment plantation over degraded forest land equal to 1.1/2 times safety zone area has already been paid by CCL as mentioned above. Therefore this condition No.3 has already been implemented by CCL.

AnyScanner

-2-

I therefore request you to kindly send the demand letter for cost of forest growth, net present value, cost of compensatory afforestation and value of forest produce at the earliest so that necessary payment can be made by C.C.L. without delay.

Thanking you,

Yours faithfully

A.K.Tripathi
General Manager (Env.-Land)

Encl: as above.

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forest
   P.W.Hinoo
   Ranchi
2. Chief Conservator of Forest (Dev.)
   P.W.Hinoo
   Ranchi
3. Regional Chief Conservator of Forest
   Hazaribagh
4. Conservator of Forest
   Hazaribagh.
5. General Manager
   Piperwar.
6. Adviser(Forest & Environment)
   Govt. of Bihar
   Patna.

AnyScanner

Central Coalfields Limited
Darbhanga House:Ranchi

GM(Env-Land)/Piparwar/94/273-80   1st February, 94.

To
The Divisional Forest Officer
Hazaribagh (W)
Hazaribagh

Sub : Payment of Rs.78,96,408.12 for release of 43.30 Ha of forest land for Piparwar OCP of CCL.

Ref : Your letter No.3291 dated 16-12-93.

Dear Sir,

With reference to the above letter, a demand for Rs.86,39,408.12 (Rupees Eightysix lakhs thirtynine thousand four hundredeight and paise twelve only) was placed towards the net present value, compensatory afforestation, fencing in safety zone and re-generation, cost of forest growth etc. for release of 43.30 Ha of forest land for Piparwar OCP.

In this connection, kindly refer to letter No. GM(Env-Land)/94/29-30 dated 5-1-94 from the undersigned addressed to you wherein, it was mentioned that fencing in safety zone and re-generation will be done by CCL. This has also been accepted by the Forest Deptt in all the cases where approval of MOEF for release of forest land has been received. It may also be mentioned here that for Parej East OCP in Hazaribagh (East) and Urimari OCP in Hazaribagh (West), CCL has committed for fencing in safety zone area and re-generation and this was accepted by Bihar State Forest officials and a proposal was forwarded to MOEF, New Delhi and based on this, the final approval was received. Therefore, Rs.7,43,000/- (Rupees seven lakhs fortythree thousand only) has been deducted from the total demand placed by you.

Enclosed please find herewith the following cheques in favour of DFO, Hazaribagh (West) for release of 43.30 Ha of forest land for Piparwar OCP which may kindly be acknowledged :-

(1) Cheque No.	A71/100-424943	- Rs.	74,63,408.12
(2) -do-	A71/100-424944	- Rs.	4,33,000.00
	Total	Rs.	78,96,408.12

contd....p/2.

Since the compensatory land has already been provided from the Govt land in village Kalyanpur and same has been sent for notification in protected forest and also the cost of forest growth etc has been deposited.

You are kindly requested to send the compliance report to the Ministry of Env & Forest so that the final approval can be received from them.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

(A.K.Tripathi)
General Manager (Env-Land)

<u>Encls : Two cheques</u>

Copy to (1) PCCF, Bihar
P.O. Hinoo, Ranchi

(2) CCF (Development)/Nodal Officer,
P.O. Hinoo, Ranchi.

(3) RCCF, Hazaribagh.
(4) CF, Hazaribagh.

cc (1) Dir(Tech)/P&P – for kind information.

(2) Chief of Rev.
(3) GM,Piparwar.

GM (Env-Land)

GM(Env.Land)/94/ 1628 18th July, 94.
21

To

The Principal Chief Conservator of Forest
P.O. Minnu
Ranchi

Sub: Diversion of 43.3 Ha of forest land for coal mining in Piparwar OCP of CCL in Hazaribagh District/

Dear Sir,

Conditional approval for release of 43/8 Ha of forest land was issued by Ministry of Environment and Forest, New Delhi vide letter No.8-172/89-F.C. dated 3/11.1993. The following conditions were laid down in the conditional approval:

1. Immediate action should be taken for transfer and mutation of equivalent non-forest land in favour of State Forest Department.

<u>Action taken by C.C.L.</u>

Equivalent Government land was provided for compensatory land from the village Kalyanpur and Mandar. The same was accepted by State Forest Department and has been notified as protected forest.

Thus CCL has fulfilled this condition.

2. The user agency will transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Department.

<u>Action taken by CCL</u>

C.C.L. has deposited Rs.78,96,408.12 vide cheque No.A-71/100-424944 and A-71/100-424943 dated 31.1.94 towards cost of forest growth, net present value, etc. Thus C.C.L. has deposited the amount as has been demanded by D.F.O. Hazaribagh West.

3. The user agency will transfer the cost of enrichment plant over degraded forest land equivalent to 1.1/2 times of safety zone area and also cost of re-generation and fencing of safety zone area.

<u>Action by C.C.L.</u>

The cost of plantation over degraded forest land equivalent to 1.5 times of safety zone has been deposited by C.C.L. along with the approval of release of 13.11 Ha of forest land for Piparwar OCP for which final clearance has been obtained vide dated 2.12.1992 by Ministry of

..2..

Environment and Forest. The cost of re-generation and fencing of safety zone to the tune of Rs.7,43,000.00 are paid vide cheque No.0499813 dated 5.7.94 enclosed with letter No.LA/1-571/91-2000-06 dated 13.7.1994 addressed to D.F.O.,Hazaribagh West(copy enclosed).

From the above it can be seen that C.C.L. has fulfilled all the conditions as has been mentioned in the conditional approval letter. It is therefore requested that the compliance report may kindly be sent to Ministry of Environment and Forest,New Delhi for issue of final approval letter.

Thanking you,

Yours faithfully

/

A.K. Tripathi
General Manager (Env.- Land)

Copy to:

The Chief Conservator of Forest/
Nodal Officer
P.O.Hinoo
Ranchi

4/7/17

General Manager(Env.Land)

ANX-III/4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची ।

पत्रांक- [illegible] 128 दिनांक- 10.1.03

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सरकार के सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखंड राँची ।

विषय:- पिपरवार परियोजना के लिए सी.सी.एल. द्वारा 43.80 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वनरोपण के लिए गैर वनभूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- (1) इस कार्यालय के पत्रांक 6504 दिनांक 20.12.92 एवं पत्रांक 2565 दिनांक 24.6.96

वन एवं पर्यावरण विभाग
झारखण्ड, राँची
का. सं. 263
11 JAN 2003

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पिपरवार परियोजना के लिए सी.सी.एल. द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कल्याणपुर थाना टण्डवा जिला चतरा एवं ग्राम माण्डर थाना टण्डवा जिला चतरा में क्रमश: 31.77 हे0 एवं 22.02 हे0 कुल 53.79 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराया गया है । उक्त गैर वनभूमि का संयुक्त सर्वेक्षण सी.सी.एल. एवं वन पदाधिकारियों द्वारा की गयी थी और यह गैर वनभूमि अतिक्रमणमुक्त एवं वृक्षारोपण के योग्य पाया गया था ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत उक्त गैर वनभूमि को सुरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में तीन-तीन प्रतियों के साथ बिहार सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना को इस कार्यालय के पत्रांक 6504 दिनांक 20.12.92 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भेजा गया था, परन्तु उक्त गैर वनभूमि को अभी तक राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है, अथवा नहीं", इसकी जानकारी बिहार सरकार से अभी तक अप्राप्त है । पुन: उक्त भूमि को सुरक्षित वन घोषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2565 दिनांक 24.6.96 द्वारा बिहार सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना को स्मारित किया गया है परन्तु राजकीय गजट में सुरक्षित वन घोषित करने की कार्रवाई के संबंधित सूचना अप्राप्त है । पूर्व प्रेषित अधिसूचना प्रारूप की प्रति पुन: भेजी जा रही है ।

..../- 2

10

अतः अनुरोध है कि बिहार सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा यदि उक्त गैर वनभूमि को सुरक्षित वन (Protected Forest) के रूप में घोषित किया जा चुका है तो अधिसूचना संबंधी अभिलेख बिहार सरकार से अपने स्तर से भी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। यदि बिहार सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गयी है, तो वैसी स्थिति में संबंधित भूमि को पी.एफ. घोषित करने की कार्रवाई की जाय।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

10.1.03

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

(तिर्की)
30/12/02

30/12/2002